न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 1/2018
दायर दिनांक : 14/05/2018
निर्णय दिनांक : 02/12/2024

उनवान

1. मु. चांदी पुत्री चूना (चुन्नीलाल) पत्नी जगन्नाथ अहीर नि. कल्याणपुरा हा.मु.रामाखेड़ा तह. चित्तौड़
2. मु. सोहनी पुत्री चूना (चुन्नीलाल) पत्नी सीताराम अहीर नि. कल्याणपुरा हा.मु.सांवता तह. चित्तौड़

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता किशना अहीर निवासी कल्याणपुरा
2. महाराम पिता चूना अहीर निवासी कल्याणपुरा
3. मु.नोजी बेवा मांगू अहीर निवासी कल्याणपुरा

अप्रार्थीगण

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री बालेन्दु कोठारी, अधिवक्ता अपीलान्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि सरदारपुरा तह. भूपालसागर की खाता सं. 11 में स्थित आराजियात रकबा 2.80 है. का पूरा खाता व खाता नं. 12 चाह रकबा 0.04 है. का 1/3 हिस्सा जो चूना (चुन्नीलाल) दोला अहीर नि. कल्याणपुरा की खातेदारी में दर्ज था तथा उनकी मृत्यु हो जाने पर उक्त जमीन जरिये विरासत, ग्राम पंचायत, बूल ने जरिये ईन्तकाल नं. 17 दिनांक 15.12.2000 को मृतक चुन्नीलाल के पुत्र किशना, महाराम व मृत पुत्र मांगू की बेवा मु. नोजी के नाम पर दर्ज की, उक्त निर्णय/ईन्तकाल के विरूद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत है। मृतक चुन्नीलाल के तीन पुत्र मांगू, किशना, महाराम व दो पुत्रियों अपीलान्ट मु. चांदी, मु. सोहनी व बेवा मु. गटूबाई थे, इनमें से किशना व मांगू का स्वर्गवास हो गया व उनके वारिस रेस्पोडेण्ट नं. 1 रतनलाल रेस्पोडेण्ट नं. 3 मु. नोजी है तथा मु. गटूबाई का भी स्वर्गवास हो गया है। इस प्रकार मृतक चुन्नीलाल के उक्त रेस्पोडेन्ट्स के अलावा हम अपीलान्ट्स भी पुत्रियां होकर वारिस हैं मगर ईन्तकाल केवल पुत्रों व पुत्रवधु के नाम पर ही खोल दिया जो गलत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलाण्ट्स भी मृतक चुन्नीलाल की वारिस हो बराबर हिस्से की अधिकारिणी है। मृतक चुन्नीलाल की शामलाती खाते की आराजियात वर्तमान में खाता नंबर 168 में स्थित होकर सभी अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स के नाम पर अंकित हुई है तथा जेरबहस ईन्तकाल की जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थी तथा वे यह समझते रहे कि सभी आराजियात विरासत से उनके नाम पर भी दर्ज हो गई मगर हाल में दिनांक 20.04.2018 को राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो यह गलत ईन्तकाल की जानकारी हुई है अतः ईन्तका की नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 20.04.

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

2018 को ईन्तकाल की नकल लेने पर गलत ईन्तकाल की जानकारी हुई है अतः अपील जानकारी के बाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा अपील में विलम्ब के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र पृथक से प्रस्तुत है, अतः अपील को मियाद में शुमार किया जाना आवश्यक है तथा वैसे भी उक्त ईन्तकाल विधि विरूद्ध खोले जाने से इसको कभी भी निरस्त कराया जा सकता है व अवधिबाधित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे तथा ग्राम पंचायत, बूल द्वारा निर्णित इन्तकाल नं. 17 दिनांक 15.1.2000 निरस्त किया जावे तथा उक्त आराजियात अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स के नाम पर 1/5–1/5 हिस्से से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से लगायत 3 उपस्थित नहीं आने, जवाब व उपस्थिति के पर्याप्त अवसर दिये के पश्चात दिनांक 11.07.2023 को कार्यवाही एकतरफा कर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर उक्त इन्तकाल को निरस्त करा आराजियात अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स के नाम पर 1/5–1/5 हिस्से से दर्ज किये का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है विधिवत दोनों को पक्षों सुना जाकर नये सिरे से नियमानुसार इंतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:00 IST
Reason: SelfAttested